न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–129/2012 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. इन्द्राज पुत्र सुलतान जाति गुर्जर निवासी ग्राम हाजीपुर तहसील व जिला अलवर राज0 ।

.....वादी/अपीलांट

बनाम

1. किस्तुरी बेवा धन्नाराम गुर्जर,
2. झम्मन पुत्र धन्नाराम गुर्जर,
3. सतीश पुत्र धन्नाराम गुर्जर,
4. रघुवीर पुत्र धन्नाराम गुर्जर,
5. इमरतलाल पुत्र धन्नाराम गुर्जर,
6. कालूराम पुत्र धन्नाराम गुर्जर निवासीयान ग्राम ढाणी डडीकर तहसील व जिला अलवर राज0 ।

..... असल प्रति0/रेस्पो0

7. यादराम पुत्र सुलतान गुर्जर,
8. तोताराम पुत्र सुलतान गुर्जर,
9. चन्दगीराम पुत्र सुलतान गुर्जर,
10. सुचमत पुत्र सुलतान गुर्जर निवासीयान ग्राम हाजीपुर तहसील व जिला अलवर राज0 ।

..... तर0 प्रतिवादी/रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री रामोतार शर्मा/श्री जितेन्द्र पोसवा अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री योगेश हिमकर अभिभाषक असल रेस्पो0 सं0 1

::: निर्णय :::

दिनांक :–30.11.2017

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.07.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद इश्तकरारहक, घोषणात्मक, दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्म ईम्तनाई दवामी इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 साबिक 179 रकबा 32 बीघा 8 बिस्वा में से 30/81 हिस्सा वाके

30/11/17

ग्राम हाजीपुर तहसील व जिला अलवर के वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार काबिज है और अरसे दराज से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं । अब भी मौके पर प्रतिवादीगण ही काबिज हैं । वादी के पिता सुलतान पुत्र देवा इस आराजी के 30/81 भाग के काबिज रहकर काश्त करता था और उनकी मृत्यु के बाद हम उनके पुत्रान वारिसान रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं । वादी के पिता की विरासत का इन्तकाल नं0 592 हमारे नाम दर्ज व मंजूर हो चुका है जिसका अमल जमाबन्दी सम्वत् 2047–2051 में आ चुका है । वादी की आराजी साबिक ख0 नं0 179 का रकबा 30/81 हिस्सा साबिक ख0 नं0 171 का दिखाकर नये नम्बर 574, 575, 576, 577 में मिला दिया जबकि ये नये नम्बर में 179 साबिक खसरा नम्बर का रकबा है । इसलिए नियमानुसार ख0 नं0 179 के ही उक्त नये नम्बर दर्शाये जाने चाहिए थे लेकिन खिलाफ मौका, खिलाफ कानून ये नये नम्बर साबिक ख0 नं0 171 के दर्शा दिये गये हैं जो कतई गलत है एवं वादीगण के हकूकों के खिलाफ बातिल व बेअसर है । बन्दोबस्त सम्वत् 2051 में हुआ और बन्दोबस्त में ही यह साबिक ख0 नं0 179 के रकबे को साबिक ख0 नं0 171 के बताकर नये नम्बर 574, 575, 576 व 577 दर्शाये गये हैं और बन्दोबस्त के समय ना तो वादी को बुलाया गया और ना ही वादी को सुना गया बल्कि हमारे बाला–बाला हमारा रकबा को नये उक्त नम्बरों में बनाया है लेकिन गलत तौर पर उसे 171 के नये नम्बर दिखाकर दिये गये हैं जबकि रकबा 179 खसरा नम्बर साबिक का ही नये नम्बर है । इसलिए भी यह कानूनी गलती की गई है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है । उक्त गलत बन्दोबस्त इन्द्राज के आधार पर हमारी आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं तथा हमारे हकूक जायल होते हैं तथा हमारे कब्जे काश्त में रूकावट व महाहमत करते हैं और विवादित आराजी को दीगर जगह मुन्तकिल करने पर उतारू हैं । इसलिए वाद वादीगण डिक्री करने का निवेदन किया । तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए दि0 06.07.2012 को वादी का वाद खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 06.07.2012 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी । अपीलांट अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए जबानी बहस में कथन किया कि साबिक ख0 नं0 179 व साबिक ख0 नं0 171 के पुराने नक्शें व बन्दोबस्त के बाद के नक्शें में दर्शित हाल ख0 नं0 574, 575, 576 व 577 उपर नीचे रखकर देखने से स्पष्ट होता है कि यह नये नम्बर साबिक ख0 नं0 179 से ही बने हैं जैसाकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय जैर अपील के चतुर्थ पृष्ट पर तनकी नं0 1 के निर्णय में भी स्वीकार किया है कि प्रथम दृष्ट्या में विवादित हाल नं0 574, 575, 576 व 577 साबिक ख0 नं0 179 से ही बने है जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का बेजा तौर पर वाद खारिज किया है । जिस अमीन बन्दोबस्त विभाग के दावा भूलवश या द्वेष या मिल्लत करके ख0 नं0 हाल 574 ल0 577 को साबिक ख0 नं0 171 में

30/11/17

दर्शाने की गलती की है, बन्दोबस्त विभाग ने जांच में उसकी गलती मानकर उस अमीन को दण्डित भी किया है ।

उन्होंने आगे कहा कि हमने वाद के समर्थन में शपथपत्र साक्षियों के पेश किये और उन्होनें वादी के वादपत्र का समर्थन किया । प्रतिवादी/रेस्पो0 ने ना कोई साक्ष्य तहरीर ना ही मौखिक साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने जवाब दावे के समर्थन में पेश की । इसलिए अपीलांट की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस में निवेदन किया कि 30/81 हिस्सा को वादीगण ने अपने रेकार्ड व साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया है । अपीलांट अभिभाषक ने जो बहस में कथन किये हैं वे गलत है । इनका कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है । इन्तकाल नं0 592 किस दिशा में चढ़ा है । किस साईड से डिक्री किया जावेगा । ख0 नं0 179 का कुल रकबा 32 बीघा 8 बिस्वा है जो बहुत बड़ा है पर कहा कब्जा है । क्या ये ख0 नं0 179 में खातेदार थे तथा इनका कब्जा था । उक्त रेकार्ड अपीलांट द्वारा पेश नहीं किया गया है । मैने यह आराजी अमर नाथ चावला से खरीदी है । धन्ना के नाम इन्तकाल हुआ है । वादी/अपीलांट के रेकार्ड से कुछ भी साबित नहीं होता है । कोई साबिक रेकार्ड की खातेदारी नहीं है । तहत न्यायालय ने इनका दावा सही खारिज किया है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें ।

बहस जवाब उल जवाब में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि धन्ना सम्वत् 2047 की जमाबन्दी में ख0 नं0 179 मिन में एक्जी.2 30/81 हिस्से का खातेदार दर्ज रेकार्ड है । रेस्पो0 ने जो आराजी खरीदी है उसका खसरा नम्बर क्या है, क्या इन्तकाल से कब्जा लिया है, क्या तरमीम हुई है । रेस्पो0 ख0 नं0 171 के बजाय रास्ते के दूसरे ओर 179 में क्लेम क्यों कर रहे हैं । मैंने नक्शा ट्रेस एक्जी. 9 व 10 पेश किया है । सभी आदेशों को एक्जी. 11, 12, 13 कराया है जिनका अवलोकन कराया और कहा कि सभी मेरे पक्ष में है । मैं जहां काबिज हूं वहा का खातेदार घोषित करवाना चाहता हूं । रेस्पो0 ने साबिक ख0 नं0 171 से खरीद की है । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

हमने पत्रावली तथा निर्णय का अवलोकन किया तथा अपील के बिन्दुओं का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध हाल व साबिक रेकार्ड एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय के निर्णय दि0 6.7.2012 का अवलोकन किया गया ।

हाल व साबिक नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में न तो मौका कमिश्नर रिपोर्ट का विश्लेषण किया और न ही रेकार्ड का विश्लेषण किया तथा जो तनकीयात कायम की है उन पर भी विस्तृत निर्णय नहीं दिया है । तहत न्यायालय ने मौका कमिश्नर रिपोर्ट व साबिक रेकार्ड के अनुसार निर्णय पारित नहीं किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तथा तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय व डिक्री दि0 6.7.2012 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि साबिक नक्शा व हाल नक्शा, मौका रिपोर्ट कमिश्नर तथा बन्दोबस्त विभाग के कार्मिकों

 30/11/17

द्वारा की गई गलती का अवलोकन करते हुए पुनः गुणावणुण पर निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30.11.17

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर